



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरट गाजियाबाद दिनांक 22.04.2024

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार गया तथा कब्जे से लूट की घटना से संबंधित 18,200/- रुपये व 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 10.04.2024 को थाना लोनी बोर्डर पर वादी ने एक तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर के पास से वादी से एक बैग जिसमें रुपये थे, छीनकर भाग गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के शीघ्र अनावरण/बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मैनुअल इनपुट, सर्विलांस व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21.04.2024 को 02 अभियुक्त 1-शकील पुत्र अनीश अहमद उम्र- करीब 30 वर्ष निवासी- मौलाना आजाद कॉलोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2-राशिद पुत्र पप्पू उम्र 18 वर्ष निवासी-गली नं0-5, इब्राहिम मस्जिद के पास, डी ब्लॉक, दयालपुर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से लूट के 18,200 रुपये व 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद। पूछताछ में अन्य 02 अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आये हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर शीघ्र ही गिरफ्तारी की जायेगी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हमारे पास से बरामद हुए ये रुपये लूट के हैं। हम दोनों ने अपने 02 अन्य साथी कबीर पुत्र नबाव व टिल्लू के साथ मिलकर रात में बेहटा हाजीपुर में एक व्यक्ति से उसके घर के बाहर गली में घुसते समय बैग छीना था। बैग छीनते समय राशिद बाइक चला रहा था, शकील मौहल्ले का ही रहने वाला होने के कारण निगरानी में खड़ा रहा था तथा बैग कबीर व टिल्लू छीनकर लाए थे। बैग में कितने रुपये थे इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। उन लोगों ने हम दोनों को 11000-11000/- रुपये दिये थे। बाद में और रुपये देने के लिए कहा था लेकिन तब से वे लोग हमसे नहीं मिले। हमने कुछ रुपये खर्च कर लिये हैं बाकी रुपये जो हमारे पास बचे थे उन्हें आपने हमसे बरामद कर लिया है। बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि यह मोटर साइकिल भी चोरी की है जिसे लूट करने के लिये कबीर व टिल्लू ने जाफराबाद दिल्ली से चोरी किया था। लूट करने के बाद उन लोगों ने यह मोटर साइकिल हमें चलाने के लिये दे रखी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

- 1- शकील पुत्र अनीश अहमद उम्र- करीब 30 वर्ष निवासी- मौलाना आजाद कॉलोनी, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद
- 2-राशिद पुत्र पप्पू उम्र 18 वर्ष निवासी-गली नं0-5, इब्राहिम मस्जिद के पास, डी ब्लॉक, दयालपुर दिल्ली

अपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है एवं दिल्ली में मोटर साइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 72 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम बरामद।

दिनांक 22.04.2024 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधर पर 01 अभियुक्त सलमान पुत्र मोहम्मद मुस्ताक निवासी- ग्राम महाराजपुर में जाहिद के मकान में किरायेदार थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को पैसिफिक मॉल के पास महाराजपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध 72 ग्राम नशीला पाउण्डर बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

सलमान पुत्र मोहम्मद मुस्ताक निवासी- ग्राम महाराजपुर में जाहिद के मकान में किरायेदार थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

अवैध 72 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:

थाना लिंकरोड पुलिस टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा टप्पेबाजी कर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी पीली धातु की 03 चैन, घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा व 12320 रूपये बरामद।

दिनांक 15.04.24 को वादी कुसुम बनरवाल निवासी न्यू पंचवटी कालोनी भाटिया मोड जनपद गाजियाबाद द्वारा थाना सिहानीगेट पर सूचना दी गयी कि ई रिक्शा में सवार महिला व पुरुष चालक द्वारा टप्पेबाजी कर मेरे

गले से सोने की चेन चोरी कर ली है। जिसके सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। दिनांक 22.04.2024 को पुलिस टीमों के अथक प्रयास, मोबाइल सर्विलांस, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर टप्पेबाजी कर चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त 1. बिजेन्द्र 2. दीपक 3. महिला अभियुक्ता को इनके निवास स्थान म0न0 72, लक्ष्मी विहार कालोनी, नियर मालीवाडा चौक से गिरफ्तार किया गया व कब्जे से 03 चेन पीली धातु, 12320 रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा बरामद

विवरण पूछताछ – अभियुक्त दीपक ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं बैट्री रिक्शा का चालक बनकर बैट्री रिक्शा को बस स्टैण्ड या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ले जाकर अपने पिता बिजेन्द्र व बहन को सवारी के रूप में बैठा कर अकेली जा रही महिला को बैठाकर उनके साथ बातचीत कर उन्हें बातों में उलझाकर उनकी सोने की चैन आदि आभूषण को चोरी कर लेते हैं और चोरी किए आभूषण को बेचकर अपने घर का राशन व अन्य अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. बिजेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी म0न0 72 लक्ष्मी बिहार नियर मालीवाडा चौक थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
2. दीपक पुत्र बिजेन्द्र निवासी म0न0 72 लक्ष्मी बिहार नियर मालीवाडा चौक थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
3. महिला अभियुक्ता

बरामदगी का विवरण

1. 03 चैन पीली धातु
2. 12320 रूपये
3. घटना में प्रयुक्त 01 ई रिक्शा

आपराधिक इतिहास

अभियुक्ता के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर में लूट का एक अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 22-04-2024 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर राजनगर एक्स्टेंशन पुस्ता रोड पर सिटी फॉरेस्ट कट के पास से एक अभियुक्त प्रिंस पुत्र राजू निवासी बी-524 आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण--

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैने नंदनगरी ताहिरपुर रोड से एक अस्पताल के पास से चोरी की थी। पुलिस से बचने के लिए मैने इस पर फर्जी रजि0नं0 प्लेट लगा ली थी।

अभियुक्त का नाम व पता--

प्रिंस पुत्र राजू निवासी बी-524 आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र लगभग 22 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त प्रिंस उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग मोटरसाइकिल चोरी , थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग मोटरसाइकिल चोरी व 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का, कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण—

चोरी की एक मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वाहन चोर करने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 22.04.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त शहबाज पुत्र रफीक निवासी- गाँव रहमानपुर थाना गागर चौक जनपद बदायूं हाल पता मुन्ना आटा चक्की के पास हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष को ताहिरपुर कट के पास शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद हुई । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

शहबाज पुत्र रफीक निवासी- गाँव रहमानपुर थाना गागर चौक जनपद बदायूं, हाल पता मुन्ना आटा चक्की के पास हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:

कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में चोरी के 02 अभियोग व जनपद बदायूं में चोरी व आर्म्स एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।